प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 10.08.2025

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार व 02 बाल अपचारी अभिरक्षा में लिये गये जिनके कब्जे से चोरी की 7 मोटर साइकिल बरामद ।

दिनांक 01.08.2025 को वादी उमेश कुमार पुत्र रमेश चन्द्र निवासी म0नं0 128 नसरत पुरा गाजियाबाद व भीम सिंह पुत्र स्व0 श्री शिवचरन सिंह निवासी ग्राम मखनपुर इन्दिरापुरम गाजियाबाद ने अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी का मोटर साइकिल चोरी कर ले जाने के संबंध में थाना कविनगर पर तहरीर दी जिस पर तत्काल थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

कार्यवाही का विवरणः-

उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। सभी टीमों के अथक प्रयास, लोकल इनपुट, सीसीटीवी कैमरे व मुखबीर की सूचना के आधार पर दिनांक 10.08.2025 को दो बाल अपचारियों को आरडीसी पुल के नीचे चौकी क्षेत्र सै0 3 राजनगर से व अभियुक्त 1. उमेश कुमार पुत्र महेश कुमार निवासी मकान नंबर 122 ममता मेडिकल स्टोर के पास दीनागढ़ी लोहियानगर थाना सिहानीगेट जिला गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष 2. गुफरान पुत्र अफजाल निवासी मकान नंबर 106 पक्की सराय डासना गेट थाना कोतवाली जिला गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष को विवेकानंद नगर तिराहे के पास चौकी क्षेत्र कविनगर से गिरफ्तार किया गया । आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ की गयी तो दोनो बाल अपचारीयों ने एक स्वर में बताया कि साहब हम दोनो मिलकर मोटरसाइकिल चोरी करते हैं और आज भी हम मोटरसाइकिल चोरी करने की फिराक मे घूम रहे थे । हमने पूर्व मे भी कई जगहों से मोटर साईकिलें चोरी की हैं तथा इन मोटरसाइकिलों को हम उमेश और गुफरान को कम कीमत पर बेच देते हैं, उमेश और गुफरान मोटर साइकिलों को मोटी रकम पर बेच देते हैं। तथा पैसे मिलने पर आपस मे बंटवारा कर लेते हैं। उमेश व गुफरान ने भी उपरोक्त बाल अपचारियों की बातों का समर्थन किया।

बरामदगी-

- 7 मोटरसाइकिल बरामद
  - स्पलैन्डर प्लस मोटरसाइकिल नंबर UP14EA4224
  - स्पलैन्डर प्लस मोटरसाइकिल नंबर UP14ED8621
  - मोटरसाइकिल हीरो स्पलैन्डर प्लस UP14EA0912
  - स्पलैन्डर मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट रजि-नंबर DL7SBS3765
  - हीरो मोटरसाइकिल स्पलैन्डर नं0 UP15DA6780

- 2 मोटरसाइकिल स्पलैन्डर प्लस बिना नंबर प्लेट

अभियुक्त का नाम पता-

1. उमेश कुमार पुत्र महेश कुमार निवासी मकान नंबर 122 ममता मेडिकल स्टोर के पास दीनागढ़ी लोहियानगर थाना सिहानीगेट जिला गाजियाबाद उ0प्र0 उम्र 21 वर्ष
2. गुफरान पुत्र अफजाल निवासी मकान नंबर 106 पक्की सराय डासना गेट थाना कोतवाली जिला गाजियाबाद उ0प्र0 उम्र 24 वर्ष
3. दो बाल अपचारी

आपराधिक इतिहास

1. **उमेश पुत्र महेश**
   - चोरी के 04 मुकदमें कमि0 गाजियाबाद
   - चोरी का 01 मुकदमा जनपद मेरठ

2. **गुफरान पुत्र अफजाल**
   - चोरी के 04 मुकदमें कमि0 गाजियाबाद
     - चोरी का 01 मुकदमा जनपद मेरठ

गिरफ्तार करने वाले टीमः-

थाना कविनगर पुलिस टीम।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा मात्र 24 घण्टे के अन्दर दो पहिया वाहन चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए, दो पहिया वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की हुई 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 09.08.2025 को थाना साहिबाबाद पर वादी प्रशान्त कुमार पुत्र श्री लखमी चन्द निवासी ग्राम रिस्टल थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 07.08.2025 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा चौहान गेट चौकी क्षेत्र हिन्डन एयर फोर्स के पास देशी शराब के ठेके के पास से चोरी हो जाने के सम्बन्ध में थाना साहिबाबाद पर धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्काल उक्त घटना के सफल अनावरण हेतु थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर चेकिंग के दोरान मात्र 24 घण्टे के अन्दर उक्त घटना को कारित करने वाला शातिर अभियुक्त 1. भानू प्रताप उर्फ लाला पुत्र किशन पाल निवासी ग्राम फारुखनगर थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष को थाना साहिबाबाद क्षेत्रान्तर्गत फारुखनगर रोड पर कृष्णा मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चौहान गेट चौकी क्षेत्र हिन्डन एयर फोर्स के पास देशी शराब के ठेके के पास से चोरी की हुई मोटर साइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त भानू प्रताप उर्फ लाला के विरुद्ध बीएनएस की धारा 303(2) में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त भानू प्रताप उर्फ लाला उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त भानू प्रताप उर्फ लाला आर्थिक तंगी से परेशान होकर दिनांक 09.08.2025 को चौहान गेट चौकी क्षेत्र हिन्डन एयर फोर्स के पास देशी शराब के ठेके के पास से चोरी की थी। उक्त चोरी की मोटर साइकिल को बेचने की फिराक में कृष्णा मंदिर के आस-पास घूम रहा था। जिसे चेकिंग के दौरान पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

भानू प्रताप उर्फ लाला पुत्र किशन पाल निवासी ग्राम फारुखनगर थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त भानू प्रताप उर्फ लाला उपरोक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा एटीएम कार्ड बदलकर पैसे निकालने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अलग-अलग बैंकों के 10 एटीएम कार्ड व 11,100 रुपये बरामद।

दिनांक 09.08.2025 को थाना अंकुर विहार पर वादी द्वारा लिखित सूचना दी गई कि दिनांक 08.08.2025 को जब मैं HDFC बैंक एटीएम से पैसे निकालने गया तो कुछ अज्ञात लोग के द्वारा मेरा एटीएम कार्ड बदल लेने के बाद उसमें से 11,900 रुपये निकाल लिए है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल धारा 303(2)/318(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 10.08.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग का अनावरण करते हुए एटीएम से पैसे निकालने के लिए जाने वाले लोगो का धोखे से एटीएम कार्ड बदलकर पैसे निकालने वाले 03 अभियुक्तगण 1- सुहैल नाई पुत्र मुन्ना निवासी डाबर तालाब थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष 2- सुहैल गाडा पुत्र फकरूल हसन निवासी गिरी मार्केट थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष 3- समीर उर्फ छोटे पुत्र दिलशाद निवासी गिरी मार्केट एक मीनार मस्जिद थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 29 वर्ष को गढी कट्टैया अन्डरपास से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगण के कब्जे से अलग-अलग घटनाओं में बदले गये अलग-अलग बैंको के 10 एटीएम कार्ड तथा 11,100 रुपये बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)/3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा बताया गया कि साहब हम लोग मिलकर लोगो के एटीएम कार्ड बदल कर रूपये निकाल लेते है और इसी से अपने महंगे शौक पूरे करते है। साहब 02 दिन पहले भी हमने खन्ना नगर में स्थित एचडीएफसी बैक के एटीएम से एक लडके का एटीएम कार्ड बदला था जिससे हमने राम पार्क स्थित सेंट्रल बैक ऑफ इंण्डिया एटीएम से रू 11900 निकाले थे। ये जो एटीएम कार्ड भी हमारे पास है वे सभी हमने इसी तरह इकट्ठे किये है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1- सुहैल नाई पुत्र मुन्ना निवासी डाबर तालाब थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष

2- सुहैल गाडा पुत्र फकरूल हसन निवासी गिरी मार्केट थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष

3- समीर उर्फ छोटे पुत्र दिलशाद निवासी गिरी मार्केट एक मीनार मस्जिद थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 29 वर्ष

बरामदगी का विवरण

अलग-अलग बैंकों के 10 एटीएम कार्ड तथा 11,100 रुपये बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त सुहैल नाई उपरोक्त के विरुद्ध लूट, झगडा, आयुध अधि व गुण्डा अधि0 के 06 अभियोग थाना लोनी पर, झगडा, आयुध अधि0 व धोखाधडी के 03 अभियुक्त थाना अंकुर विहार पर तथा चोरी का 01 अभियोग दिल्ली में पंजीकृत है।

अभियुक्त सुहैल गाडा उपरोक्त के विरूद्ध धोखाधडी का 01 अभियोग थाना मोदीनगर पर तथा उपरोक्त 01 अभियोग थाना अंकुर विहार पर पंजीकृत है।

अभियुक्त समीर उर्फ छोटे उपरोक्त के विरूद्ध झगडा व सडक दुर्घटना के 02 अभियोग थाना लोनी पर, धोखाधडी का 01 अभियोग थाना ट्रोनिका सिटी पर, चोरी का 01 अभियोग थाना लोनी बोर्डर पर, चोरी का 01 अभियोग थाना टीला मोड पर तथा उपरोक्त 01 अभियोग थाना अंकुर विहार पर पंजीकृत है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम-.

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

साइबर अपराध में प्रभावी कार्यवाही हेतु थाना साइबर क्राइम एवं कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त थानों की साइबर सेल के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु विशेष कार्यशाला का आयोजन

कोविड के बाद से बढे हुए ऑनलाइन व्यवसायिक गतिविधियों के साथ-साथ साइबर अपराध में भी बढ़ोत्तरी हुई है। गाजियाबाद में जुलाई तक साइबर फ्रॉड की 11000 से अधिक शिकायते प्राप्त हुई हैं। बढ़ते हुए साइबर अपराध पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में आज कमिश्नरेट गाजियाबाद के साइबर थाने एवं साइबर सेल के समस्त कर्मचारियों के लिए आज पुलिस लाइन्स में विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान अपर पुलिस उपायुक्त अपराध, थाना प्रभारी साइबर क्राइम, साइबर क्राइम थाने एवं साइबर सेल के समस्त कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

उक्त कार्यशाला में विशेष रूप से **नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेन्टर (CyTrain)** द्वारा पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु ऑन लाइन साइबर क्राइम प्रशिक्षण कार्यक्रम में साइबर थाने एवं साइबर सेल के

समस्त कर्मचारियों को पंजीकृत कराकर ऑन लाइन प्रशिक्षण कराया गया। इस प्रशिक्षण में साइबर फ्रॉड की शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा चरण बद्ध रूप से की जाने वाली कार्यवाहियों का प्रशिक्षण " Responder Track" का कोर्स कराया गया।

उल्लेखनीय है कि अब तक 5 लाख रुपयों तक के साइबर फ्रॉड के अभियोग स्थानीय थानों पर पंजीकृत किये जा रहे थे एवं 5 लाख रुपयों से अधिक के साइबर फ्रॉड के अभियोग थाना साइबर क्राइम में पंजीकृत किया जा रहा था। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस महोदय द्वारा उक्त बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। किसी भी साइबर फ्रॉड की शिकायत अब पीड़ित साइबर थाने पर अथवा अपने नजदीक के थाने पर सुविधानुसार दर्ज करा सकता है।

थाना साइबर क्राइम में वर्तमान में 05 निरीक्षक, 27 उप निरीक्षक, 33 मुख्य आरक्षी/आरक्षी व 01 कम्प्यूटर ऑपरेटर नियुक्त है। थाना साइबर क्राइम कमिश्रेट गाजियाबाद की क्षमता में वृद्धि हेतु साइबर थाने पर 21 उप निरीक्षक और नियुक्त किये गए हैं। निकट भविष्य में थाना साइबर क्राइम में निरीक्षकों और आरक्षियों की भी नियुक्ति की जाएगी ताकि साइबर अपराध के मामलो में त्वरित कार्यवाही कर समयबद्ध रूप से विवेचना निस्तारण किया जा सके। इसके अतिरिक्त साइबर थाने पर संसाधन में भी वृद्धि की जा रही है।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा घर का रास्ता भटक गयी 03 वर्षीय बच्ची को उसके परिजनों को तलाश कर सुपुर्द किया गया।

दिनांक 09.08.2025 को सायंकालीन आदर्श कालोनी से थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक 03 वर्षीय बच्ची रास्ता भटक गयी है और अपने घर का पता नहीं बता पा रही है और केवल अपना नाम बता पा रही है। बच्ची के घर व परिजनों का पता लगाने हेतु तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप व बीट वाइज सूचना प्रसारित कर परिजनों की तलाश शुरू की गयी व आसपास जानकारी कर अथक प्रयास के उपरान्त बच्ची के घर का पता ढूंढकर बच्ची के परिजनों को सूचना दी गयी, बच्ची के परिजन अपनी बच्ची को पाकर काफी खुश हुए।

बच्ची के परिजनों द्वारा बताया गया कि बच्ची जिसकी उम्र करीब 03 वर्ष है, रक्षाबंधन पर अपने मामा के घर आयी हुई थी, घर के पास की ही दुकान पर चिप्स लेने गयी थी। रास्ते में बच्चों के साथ खेलते हुए कुछ दूर निकल गयी, जिसके बाद हमने परेशान होकर काफी ढूंढने का प्रयास किया, आस-पास काफी तलाश किया गया नहीं मिली, हमारा परिवार उसके चले जाने से काफी दुखी था, परन्तु पुलिस के प्रयास से आज मेरी बच्ची हमें वापस मिल गयी है, जिससे हमारे परिवार में काफी खुशी है।

कार्यवाही करने वाली टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, निशादेही से घटना में प्रयुक्त दो आधी ईट व शराब की शीशी का टूटा हुआ कांच आदि बरामद।

दिनांक 08.08.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभि0गण द्वारा वादी के पिता के साथ जान से मारने की नीयत से लोहे की रोड व लाठी, डंडो / ईंटों से मार पीट करना जिससे वादी के पिताजी के सिर और चेहरे पर काफी गंभीर चोटें आना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा 115(2)/109(1)/351(2)/352 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 10.08.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तगण 1.गौरव नैन उर्फ जौनी पुत्र जितेन्द्र निवासी 30 फुटा रोड, रविदास मंदिर वाली गली पंचवटी कालोनी थाना लोनी बॉर्डर मूल निवासी गांव बसी थाना खेकडा जनपद बागपत उम्र 30 वर्ष व 2. आकाश प्रजापति उर्फ बाबा पुत्र गोपाल सिंह निवासी अमर कालोनी गली नम्बर 1 थाना ज्योतिनगर दिल्ली मूल निवासी टीचर कालोनी राजीव विहार थाना हापुड कोतवाली जनपद हापुड उम्र 22 वर्ष को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, निशादेही से घटना में प्रयुक्त दो आधी ईंट खूनालूदा, शराब का 01 क्वार्टर व एक टूटे हुए क्वार्टर का कांच बरामद। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 3(5) बीएनएस की वृद्धि की गई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि वादी का पिता गौरव नैन का मुँह बोला मामा है जिसे हमने शराब पिलवायी फिर उसने हमें पैसे देने से मना कर दिया था उसी बात को लेकर हमारी आपस में कहा सुनी हुयी तथा कहासुनी को लेकर हमारा विवाद इतना बढ गया कि हमने और साथी सुमित ने उसके सिर व चेहरे पर ईंट व शराब की शीशी (कांच की) से वार किया था जिससे वह लहुलुहान हो गया था और हम मौके से भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.गौरव नैन उर्फ जौनी पुत्र जितेन्द्र निवासी 30 फुटा रोड, रविदास मंदिर वाली गली पंचवटी कालोनी थाना लोनी बॉर्डर मूल निवासी गांव बसी थाना खेकडा जनपद बागपत उम्र 30 वर्ष।

2.आकाश प्रजापति उर्फ बाबा पुत्र गोपाल सिंह निवासी अमर कालोनी गली नम्बर 1 थाना ज्योतिनगर दिल्ली मूल निवासी टीचर कालोनी राजीव विहार थाना हापुड कोतवाली जनपद हापुड उम्र 22 वर्ष।

वांछित अभियुक्त का नाम पता-

सुमित पुत्र नरेश निवासी 30 फुटा रोड पंचवटी कालोनी रविदास मन्दिर वाली गली थाना लोनी बॉर्डर गा0बाद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण गौरव नैन उपरोक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग एनडीपीएस व 01 अभियोग मारपीट व धमकी का पंजीकृत है तथा आकाश उर्फ बाबा उपरोक्त पर थाना हापुड नगर पर हत्या के

प्रयास का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में अभियुक्तगण पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।